न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां (राज॰)

पीठासीन अधिकारी :- श्री हीरालाल मीणा (R.A.S.)

प्र॰ सं॰ 84/18 प्रतिलिपि

उनवान

मदनगोपाल पुत्र भवानीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी बराना तह॰ बारां, राज॰
— प्रार्थी

बनाम

राज॰ सरकार जरिये तहसीलदार बारां, राज॰
— अप्रार्थी

पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र

वास्ते अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू राजस्व अधि॰ 1956 में निर्णीत प्रकरण सं॰ 1/18 निर्णय दिनांक 1/5/18

उपस्थित :- तहसीलदार बारां - प्रार्थी

निर्णय दिनांक 17/10/19

इस उनवानी प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश हुआ कि "न्याय आपके द्वार शिविर 2018" में शिविर मुकाम बराना दिनांक 1/5/18 को प्रार्थी मदनगोपाल पुत्र भवानीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी बराना ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बराना की जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम भगवानलाल दर्ज है, जिसे दुरुस्त कर भवानीशंकर दर्ज किया जावे। प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड की प्रति, वोटर आईडी की प्रति, ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, जमाबंदी ग्राम बराना खाता नंबर 144 संवत 2067-70 की प्रति (जो कि ई-मित्र / कियोस्क से 6/10/12 को स्वयं के आवेदन पर जारी हुई है) पेश की। पहचानकर्ता के रूप में सरपंच ग्राम पंचायत से हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र पेश करने पर अधीनस्थ स्टॉफ द्वारा कैम्प में मौजूद भीड़ और अधिकाधिक कार्य निस्तारण को देखते हुए सरसरी तौर पर जांच कर अंकित किया कि ऑनलाईन जमाबंदी के खाता नंबर 56 खसरा नंबर 150 रकबा 1.39 है॰ पर "मदनगोपाल पुत्र भगवानलाल ब्राह्मण" और खाता नंबर 57 पर पिता का नाम भवानीशंकर दर्ज है तथा प्रार्थी भगवानलाल के स्थान पर भवानीशंकर दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कैम्प में न्यायालय के प्र॰ सं॰ 1/18 पर प्रार्थना

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

[illegible]

पत्र को दर्ज कर, मौके पर निर्णय पारित हुआ और मौके पर ही नामांतरण नंबर 741 दर्ज हुआ तथा स्वीकृत भी मौके पर ही किया गया। स्वीकृत-शुदा नामांतरण का अमल दरामद जमाबंदी में हो चुका है। उक्त निर्णयानुसार ग्राम बसाना की जमाबंदी खाता 147 संवत 2071-74 खसरा नंबर 150 रकबा 1.39 हे. पर मदनगोपाल पुत्र भगवानलाल के स्थान पर मदनगोपाल पुत्र भवानीशंकर दर्ज हुआ। सिवायचक भूमियों की गिरदावरी के दौरान पटवारी हल्का की जानकारी में आया कि केम्प बसाना दिनांक 1/5/18 को ग्राम बसाना की खसरा नंबर 150 रकबा 1.39 हे. पर की गई दुरुस्ती सही नहीं है। समान नाम व समान जाति का नाजायज फायदा उठाते हुए मदनगोपाल पुत्र भवानीशंकर ने अवैधानिक रूप से इस भूमि पर गलत तरीके से स्वयं का नाम दर्ज करवा लिया है। प्रकरण की गहराई से जांच करने पर ज्ञात हुआ कि मदनगोपाल पुत्र भवानीशंकर ने धोखे से वल्दियत भगवानलाल के स्थान पर भवानीशंकर करवा ली, जो अनुचित है। इस कारण पूर्व प्रकरण सं. 1/18 निर्णय दिनांक 1/8/18 में पुनरावलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में स्पष्ट स्थिति निम्नानुसार है कि माल बसाना के नामां. नं. 867 दि. 23/5/49 से भगवानलाल पुत्र नेतराम की आराजी किता 4 रकबा 24.06 बीघा पर मदनगोपाल नाबा. पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बारां सरपरस्त भगवानलाल का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ। जमाबंदी संवत 2002-05 में उक्त नामां. का अमल होकर किता 4 रकबा 24.06 बी. पर मदनगोपाल बेटा रामनारायण जाति ब्राह्मण वास बारां नाबालिग का वली भगवानलाल दर्ज हुआ। जमाबंदी संवत 2013-32 में सेटलमेंट द्वारा सरपरस्त भगवानलाल को ही खातेदार मदनगोपाल की वल्दियत के रूप में दर्ज कर दिया गया जो कालान्तर में लेखकीय भूल से संवत 2027-30 में भगवानलाल दर्ज हो गया। तब से मदनगोपाल पुत्र भगवानलाल दर्ज चला आ रहा है जो जमाबंदी संवत 2067-70 के खाता नंबर 144क में इसी अनुरूप दर्ज चला आ रहा है। लेकिन प्रार्थी ने गलत नियत से, गलत इरादे से, बदनियति पूर्वक राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों को धोखे में रखते हुए जालसाजी से किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि स्वयं के नाम दर्ज करवा ली।

[illegible]

पटवारी की मौका रिपोर्ट में ग्रामवासियान के ब्यान से बताया गया कि ख.नं. 150 रकबा 1.39 है. भूमि मदनगोपाल पुत्र रामनारायण ब्राह्मण ने आज से 30-40 साल पहले सुरजमल ब्राह्मण को बेचान कर दी थी लेकिन राजस्व रिकार्ड में मदनगोपाल के पिता का नाम भगवानलाल दर्ज होने से रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। बेचान से पूर्व मदनगोपाल पुत्र रामनारायण ही उक्त भूमि पर काश्त करता था। ग्रामवासियान के उक्त जानकारी की पुष्टि इस बात से भी होती है कि मौके पर वर्तमान में चन्द्रप्रकाश कौशल पुत्र सुरजमल जाति ब्राह्मण का कब्जा काश्त है। मौका रिपोर्ट में ग्राम के मोतबीर नन्दलाल उम्र 80 पुत्र चुन्नीलाल जाति मीणा तथा कौशल उम्र 65 पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण, जो कि मदनगोपाल पुत्र भवानीशंकर ब्राह्मण के ही परिवार का सदस्य है, ने इस बात की पुष्टि की है कि मदनगोपाल पुत्र रामनारायण उर्फ भगवानलाल और मदनगोपाल पुत्र भवानीशंकर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अतः कृपयावलोकनार्थ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तथ्यानुसार रेकार्ड तथ्यों के आधार पर निर्णय दिनांक 1/5/18 को निरस्त फरमावे तथा 1/5/18 से पूर्व की स्थिति खाराबी ख.नं. 150 रकबा 1.39 है. पर मदनगोपाल पुत्र भगवानलाल जाति ब्राह्मण दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें। तथा प्रार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना फरमावे ताकि भविष्य में किसी अन्य राजस्व अधिकारी/कर्मचारी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सके।

प्रार्थना पत्र अप्रार्थी की ओर से पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी मदनगोपाल पुत्र भवानीशंकर ब्राह्मण साकिन बराना हाल तेल फैक्ट्री बारां को तलब किया गया। प्रार्थी मदनगोपाल बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने एकपक्षीय बहस अप्रार्थी पेशकार सरकार की सुनी। दौरान बहस तहसीलदार बारां ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी ने गलत नियत व गलत इरादे से बदनियति पूर्वक राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों को धोखे में रखते हुए जालसाजी से किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि स्वयं के नाम दर्ज करवा ली। ग्राम के मोतबिरान ने इस बात की पुष्टि की है कि मदनगोपाल पुत्र रामनारायण उर्फ भगवानलाल और मदनगोपाल पुत्र भवानीशंकर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अप्रार्थी की ओर से इस बाबत दस्तावेजात मौका

उप खण्ड अधिकारी
बारां

किये हैं। अतः पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 1/5/18 निरस्त फरमाया जाकर दिनांक 1/5/18 से पूर्व की राजस्व रेकार्ड की स्थिति बहाल की जावे।

उभय पक्षीय बहस पेशकार सरकार पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार प्रार्थी तहसीलदार बारां की ओर से प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 1/18 अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 1/5/18 निरस्त किया जाकर ग्राम बराना की आराजी ख.नं. 150 रकबा 1.39 हे० पर मदनगोपाल पुत्र भगवानलाल जाति ब्राह्मण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 17/10/19 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हीरालाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां

क्रमांक / मुज / 2018 /

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Meena
Date: 2019.11.21 15:10:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: